



-प्रेस नोट-

दिनांक 26.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी का सामान खरीदने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 104 किलो तांबे का तार, 01 फर्जी नम्बर प्लेट न0 मोटर साईकिल बजाज कावासाकी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट व चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपाधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर /अभियुक्तगण 1. आशिक पुत्र इदरीश निवासी मौहल्ला जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. सावेज पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3. आरिफ पुत्र ईनाम निवासी मौहल्ला जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को शाहजहाँपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से तांबे का तार (कुल वजन करीब 104 किलो) । बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तीनों अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 90/24 धारा 414/420/465 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आशिक उपरोक्त ने बताया कि मैं कक्षा 5 वीं तक पढा लिखा हूँ व अभियुक्त सावेज व आरिफ उपरोक्त ने बताया कि हम दोनों पढे लिखे नहीं हैं। तीनों अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि हम तीनों चिचरोली जगाधरी, हरियाणा से चोरी के तांबे के तार को सस्ते दामों में खरीदकर सहारनपुर में आसपास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब हम तीनों चिचरोली जगाधरी हरियाणा से चोरी का तांबे के तार को खरीदकर गंगोह रोड के रास्ते से सहारनपुर जा रहे थे कि तभी पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. आशिक पुत्र इदरीश निवासी मौहल्ला जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. सावेज पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. आरिफ पुत्र ईनाम निवासी मौहल्ला जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त आरिफ उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 547/21 धारा 323/352/452/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- तांबे का तार (कुल वजन करीब 104 किलो)
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट- HR 05K4575
- 01 मोटर साईकिल बजाज कावासाकी रंग काला

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० रोहताश बैसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है०का० 277 आदित्य सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है०का० 552 हरेन्द्र सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट करने वाले 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का पाईप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.03.2024 को वादी रोहित चौधरी पुत्र अमरजीत सिंह निवासी पवन नलके वाली गली शारदानगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी, वादी के भाई मोहित व साथी मेहुल ,रवि कश्यप व विकास के साथ मारपीट करना व मोहित पर लगातार लाठी, डण्डों, गरारी व बैल्टो से वार करना जिससे मोहित मौके पर ही बहोश होकर गिरने व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 147/149/308/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 06 शातिर अभियुक्तगण **1. समीर पुत्र जमील 2. शाकिब पुत्र शमशाद 3. अलीशान पुत्र मकसूद 4.शाहरुख पुत्र फुरकान 5. नूर आलम पुत्र नूर हसन 6. साहिब पुत्र भूरा उर्फ मुनव्वर समस्त निवासी गण ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को भाऊपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से **01 लोहे के पाईप** में लगी गरारी बरामद हुयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार सभी उपरोक्त अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हमारा वादी व वादी के भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. समीर पुत्र जमील निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. शाकिब पुत्र शमशाद निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. अलीशान पुत्र मकसूद निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 4.शाहरुख पुत्र फुरकान निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. नूर आलम पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. साहिब पुत्र भूरा उर्फ मुनव्वर निवासी ग्राम ईस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 लोहे का पाईप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ०नि० श्री राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है०का० 974 अमित भाटी, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है०का० 205 विपिन, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. है०का० 819 सतेन्द्र, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. है०का० 854 अमित कुमार, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. है०का० 468 सुरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे
से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.03.2024 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर शराब तस्कर अभियुक्त चांद मिया पुत्र निसार अहमद निवासी शाहबिलोल थाना मंडी सहारनपुर को कम्बोह तके पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 122/2024 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चांद मिया पुत्र निसार अहमद निवासी शाहबिलोल थाना मंडी सहारनपुर।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 328/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 33/10 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. का0 609 विपिन शर्मा थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



दिनांक- 26.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा कर
मुनादी करायी गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.03.2024 को अभियुक्त महेश पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा सहारनपुर को अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही के फलस्वरूप श्रीमान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर के अदेशानुसार जिला बदर घोषित किया गया। आदेश के अनुपालन में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त महेश उपरोक्त के जिला बदर के नोटिस को अभियुक्त के घर पर ना मिलने पर मकान के दरवाजे पर आदेश की एक प्रति चस्पा कर परिवार जनों को अवगत करायी गया व मुनादी करायी गयी।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता:-

महेश पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा सहारनपुर।

जिला बदर अभियुक्ता आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0— 365/21 धारा—8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0—247/21 धारा 63 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवी0 थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0सं0—216/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर

मुनादी कराने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री सत्येन्द्र कुमार राय, थानाध्यक्ष थाना सरसावा सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
3. है0का0 1121 अंकुर चौहान कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
5. है0का0 25 जयप्रकाश थाना चिलकाना सहारनपुर



दिनांक- 26.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 26.03.2024 को मुखबिर की सूचना थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा पर 01 शातिर **अभियुक्त नीरज पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड़ सहारनपुर** को ग्राम भैरमऊ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 91/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त नीरज उपरोक्त ने बताया कि मैं कक्षा 10 वीं तक पढा लिखा हूँ। जो तमंचा पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नीरज पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त नीरज उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0 40/22 धारा 398/401 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- 2.मु0अ0सं0 42/22 धारा 25/4 आयुध अधिनियम चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।
- 3.मु0अ0सं0 122/23 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।
- 4.मु0अ0सं0 175/15 धारा 147/447/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।
- 5.मु0अ0सं0 218/15 धारा 147/148/149/379/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।
- 6.मु0अ0सं0 236/16 धारा 323/325/354/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।
- 7.मु0अ0सं0 412/20 धारा 147, 148, 323, 324, 452, 504, 506 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।
- 8.मु0अ0सं0 494/21 धारा 379 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।
- 9.मु0अ0सं0 504/21 धारा 380 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
4. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
5. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
- 6 है0 का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 26.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01

तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **दिल्लू उर्फ दिलजान पुत्र इरफान निवासी ग्राम अकबरपुर बांस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम मढ़ती के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 54/24 धारा 3/25 आयुध अधि0** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त दिल्लू उर्फ दिलजान उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ जो तमंचा पुलिस टीम द्वारा आज मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दिल्लू उर्फ दिलजान पुत्र इरफान निवासी ग्राम अकबरपुर बांस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 30/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

01 तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. हेका0 510 जितेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
5. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 26.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,

कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर शराब तस्कर **अभियुक्त रिजवान पुत्र जमील निवासी ग्राम लोधीबांस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम लोधीबांस के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 53/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान उपरोक्त ने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में गौकशी का अपराध किया गया है तथा वर्तमान में मैं देशी शराब हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रिजवान पुत्र जमील निवासी ग्राम लोधीबांस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 269/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 2.मु0अ0सं0 330/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिलासहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 12 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
- 4.हेका0 510 जितेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 5.का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

